



संख्या: एनआईटी-04/मु.-02/मगंम-1/लख./2023/1913-18

दिनांक: 28.10.2023

निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा मण्डल -1, केन्द्रीय जल आयोग, जलतरंग भवन प्रतापबाग, अलीगंज, लखनऊ द्वारा सक्षम प्राधिकारियों (केन्द्र/राज्य सरकार) द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से मदवार ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं -

क	कार्य का नाम	"Repairing and Painting of Jahnvi Sadan Building under O/o Chief Engineer, UGBO, CWC, Lucknow"
ख	अनुमानित लागत	रु.10,54,266/- (रुपये दस लाख चौवन हजार दो सौ छियासठ मात्र)
ग	ब्याना धनराशि	रु.21,085/- (रुपये इक्कीस हजार पिचासी मात्र)
घ	परफॉर्मेंस गारंटी	कार्य के निविदा मूल्य का 3%
च	सुरक्षा जमा राशि	कार्य के निविदा मूल्य का 5%
छ	निविदा दस्तावेज की लागत	शून्य
ज	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	15/11/2023 को 16:00 बजे तक
झ	ई-निविदा के खुलने की तिथि व समय	16/11/2023 को 16:00 बजे

- सफल बोलीदाता के साथ निर्धारित सीपीडब्ल्यूडी प्रपत्र सं. 8 अथवा अन्य मानक प्रपत्र, जो कि भारत सरकार द्वारा सम्पादित प्रपत्र के रूप में उपलब्ध है, पर अनुबंध तैयार किया जाएगा। बोलीदाता उक्त प्रपत्र के विभिन्न नियमों और शर्तों के अनुसार अपनी मदवार दरों का उल्लेख करेंगे जो समझौते का हिस्सा बनेंगे।
- कार्य का स्थान मुख्य अभियन्ता कार्यालय, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, जाह्नवी सदन, 21/496, इंदिरा नगर, लखनऊ होगा।
- ई-निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सी.पी.पी.) पोर्टल www.eprocure.gov.in और केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट www.cwc.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त निविदा दिनांक 15.11.2023 को 16:00 बजे तक केवल ऑनलाइन माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सी.पी.पी.) पोर्टल पर जमा की जाएगी।





4. ई-निविदा सम्बन्धी ऑनलाइन उपलब्ध प्रपत्र को www.cwc.gov.in से डाउनलोड अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा मण्डल -1, केन्द्रीय जल आयोग, जल तरंग भवन, अलीगंज, लखनऊ से रविवार अथवा द्वितीय शनिवार के अतिरिक्त किसी भी कार्य दिवस में 11:00 बजे से 16:00 बजे तक की अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।
5. ई-निविदा से सम्बन्धित ऑनलाइन प्रपत्र को दिनांक 28.10.2023 (16:00 बजे) से 15.11.2023 (16:00 बजे) तक की अवधि के दौरान डाउनलोड किया जा सकता है।
6. ई-निविदा से सम्बन्धित ऑनलाइन प्रपत्र केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सी.पी.पी.) पोर्टल www.eprocure.gov.in और केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट www.cwc.gov.in पर उपलब्ध है।
7. बोलीदाता द्वारा डाउनलोड किये गये ई-निविदा प्रपत्र अथवा बिड मूल्य सम्बन्धी प्रपत्र में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/संशोधन स्वीकार्य नहीं है। यदि प्रपत्रों के साथ इस प्रकार की कोई छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है तो बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को अस्वीकृत कर जमा की गई बयाना धनराशि (EMD) को ज़ब्त कर लिया जाएगा।
8. भारत सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय कार्यालयों को दो लाख या इससे अधिक मूल्य की किसी भी सामग्री को ई-खरीद माध्यम से प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय जल आयोग द्वारा ई-खरीद के लिये एन.आई.सी. के केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सी.पी.पी.) पोर्टल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है। अतः सभी बोलीदाताओं द्वारा निविदाएं केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सी.पी.पी.) पोर्टल www.eprocure.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा किया जाना अपेक्षित है।
9. केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सी.पी.पी.) पोर्टल पर ऑनलाइन निविदा जमा किये जाने हेतु बोलीदाता का उक्त पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिये बोलीदाताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे उक्त पोर्टल पर " ठेकेदारों/ बोलीदाताओं द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सी.पी.पी.) पोर्टल पर ऑनलाइन निविदा जमा किये जाने सम्बन्धी निर्देश" के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुसरण करें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सहायता हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सी.पी.पी.) पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है-

सी.पी.पी. पोर्टल हेल्पडेस्क	
किसी प्रकार की तकनीकी सहायता हेतु	0120-4200 462
24X7 उपलब्ध हेल्पडेस्क नं. पर संपर्क	0120-4001 002
हेतु -	0120-4001 005
	0120-6277 787





	अन्तर्राष्ट्रीय बोलीदाता उक्त टेलीफोन नं. से पूर्व राष्ट्रीय कोड +91 का प्रयोग करें। अतिरिक्त हेल्पडेस्क नं. है- 0120-4001 005
ई-मेल आई. डी.	Technical - support-eproc(at)nic(dot)in Policy Related - cppp-doe(at)nic(dot)in
क्रयकर्ता संगठन का नाम व पता	
केन्द्रीय जल आयोग के सम्बन्धित व्यक्ति	अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा मण्डल -1, केन्द्रीय जल आयोग, जलतरंग भवन प्रतापबाग, अलीगंज, लखनऊ 226024 कनिष्ठ अभियन्ता, मध्य गंगा मण्डल -1, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ
दूरभाष सं./ मोबाईल सं.	0500-2325028 (कार्यदिवसों में 9:30 से 5:00 तक उपलब्ध)
ई-मेल आई. डी.	eemgd1-cwc@gov.in

10. सभी इच्छुक बोलीदाताओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे किसी भी शुद्धि-पत्र/जापन हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सी.पी.पी.) पोर्टल/ केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहे।
11. बोलीदाता को बयाना राशि (मुहरबंद लिफाफे में हार्ड कॉपी में) बीमा जमानत बांड/ अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/ सावधि जमा रसीद/ बैंकर्स चेक या किसी वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी या ऑनलाइन भुगतान के रूप में अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा मंडल-1, सीडब्ल्यूसी, लखनऊ के पक्ष में जमा करनी होगी। जमा किये जा रहे उक्त लिफाफे के ऊपर कार्य के नाम लिखकर उसे अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा मण्डल-प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 15/11/2023 को 16:00 बजे तक जमा करना होगा। प्राप्त की गयी बोली 16/11/2023 को 16:00 बजे खोला जाएगा। (तकनीकी मूल्यांकन के परिणाम के 30 दिन बाद असफल ठेकेदार को बयाना राशि वापस कर दी जाएगी)
12. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार की जाती है, उसे अनुसूची एफ के अनुसार परफॉर्मंस गारंटी (पी.जी.) जो कि निविदा मूल्य का 3% (तीन प्रतिशत) है, निर्धारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी। यह परफॉर्मंस गारंटी अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा मण्डल-प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ के पक्ष में देय बीमा जमानत बांड/ अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/ सावधि जमा रसीद/ बैंकर्स चेक या किसी वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी या ऑनलाइन भुगतान के रूप में होगी। यदि ठेकेदार अनुसूची 'एफ' में इंगित विस्तारित अवधि सहित (यदि कोई हो) निर्धारित अवधि के भीतर उक्त परफॉर्मंस गारंटी जमा करने में विफल रहता है तो ठेकेदार द्वारा जमा की गई बयाना धनराशि बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर ली जाएगी। उक्त परफॉर्मंस गारंटी प्राप्त करने के बाद बिड के साथ जमा की गई बयाना धनराशि वापस कर दी जाएगी।





13. बोलीदाता की पात्रता (निम्नलिखित पात्रता मानदंड से संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई और हस्ताक्षरित प्रतिलिपि अपलोड की जानी है):

- (i) ठेकेदार को भारत में केंद्र सरकार / राज्य सरकार। / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए अथवा उनके द्वारा केंद्रीय जल आयोग को पूर्व में इसी तरह की वस्तुओं की आपूर्ति की गई हो। संयुक्त उद्यम स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
- (ii) बोली जमा करने के समय ठेकेदार के पास वैध पैन और जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।
- (iii) ठेकेदार द्वारा सितम्बर, 2023 को समाप्त पिछले 7 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार के निकायों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, एमईएस, रेलवे में समान प्रकृति का काम सफलतापूर्वक पूरा किया होना चाहिए, प्रत्येक न्यूनतम मूल्य नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

क) तीन समान पूर्ण किए गए कार्य, जिनकी लागत उक्त अनुमानित लागत के 40% के बराबर धनराशि से कम न हो।
या

ख) दो समान पूर्ण किए गए कार्य, जिनकी लागत उक्त अनुमानित लागत के 60% के बराबर धनराशि से कम न हो।
या

ग) एक समान पूरा किया गया कार्य, जिसकी लागत उक्त अनुमानित लागत के 80% के बराबर धनराशि से कम न हो।

निष्पादित कार्यों के मूल्य को 7% प्रतिवर्ष की साधारण दर से कार्य के वास्तविक मूल्य में वृद्धि करके वर्तमान लागत स्तर पर लाया जाएगा, जिसकी गणना बोलियां जमा करने के अंतिम दिन के पूरा होने की तारीख से पिछले दिन से की जाएगी। समान प्रकृति के कार्य से तात्पर्य केवल निर्माण संबंधी कार्य से है। उपरोक्त के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से आपूर्ति / कार्य की गुंजाइश और प्रकृति का संकेत होना चाहिए। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षरित होना चाहिए जिसके बिना कार्य पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (iv) पिछले 3 वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में रुपये 5.27 लाख का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार। (यूनीक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूडीआईएन) प्राप्त प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई प्रतिलिपि अपलोड की जानी है। सीए से प्रमाणित लाभ और हानि विवरण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में उक्त प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कारोबार (Turnover) सम्बन्धी के आंकड़े उनमें उल्लिखित हैं। वार्षिक टर्नओवर के आंकड़ों का मूल्य वास्तविक टर्नओवर के आंकड़े को 7% प्रतिवर्ष की साधारण दर से बढ़ाकर वर्तमान मूल्य पर लाया जाएगा।

- (v) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22) की आईटीआर और बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति।





(vi) निविदा में उल्लिखित अनुमानित लागत के 40% के बराबर धनराशि के वाणिज्यिक बैंक से प्राप्त बैंकर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि या यूडीआईएन प्राप्त प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी निविदा की अनुमानित लागत का न्यूनतम 10% नेट वर्थ प्रमाण पत्र (फॉर्म बी/बी-1) की स्कैन की गई प्रतिलिपि।

(vii) बोली लगाने वाले के पास निविदा (फॉर्म सी-3) में रखे गए कार्य की अनुमानित लागत के बराबर या उससे अधिक बोली लगाने की क्षमता होनी चाहिए। बोली क्षमता की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाएगी:

$$\text{बोली लगाने की क्षमता} = \{[A \times N \times 1.5] - B\}$$

जहाँ,

ए = पिछले सात वर्षों के दौरान किसी भी एक वर्ष में पूर्ण किए गए कार्यों के साथ-साथ प्रगति पर चल रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, किए गए सर्वेक्षण संबंधी कार्यों में अधिकतम टर्नओवर। पूर्ण किए गए कार्यों का मूल्य 7% प्रतिवर्ष की साधारण दर से बढ़ाकर वर्तमान लागत स्तर पर लाया जाएगा।

एन = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

बी = मौजूदा प्रतिबद्धताओं का मूल्य और वर्तमान में चल रहे कार्य, जिनको उल्लिखित कार्य, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं, के पूरा होने की अवधि के दौरान पूरा किया जाना है।

- (viii) बोली पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में बोलीदाता द्वारा लिखित मुख्तारनामा। (यदि प्रोपराइटरशिप फॉर्म के मामले में प्रोपराइटर हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी है तो लागू नहीं)
- (ix) एजेंसी को पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी विभाग या पीएसयू द्वारा काली सूची में विवर्जित/प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिए। (अंडरटेकिंग/शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है)
- (x) निविदा स्वीकृति पत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की हुई प्रति।
- (xi) बोली लगाने वाले का किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंपनी के लेटरहेड पर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (xii) अनुलग्नक के रूप में संलग्न प्रारूप में विधिवत भरा हुआ फॉर्म IV (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता और निर्दिष्ट देशों से बोलीदाताओं की योग्यता - धाराओं के अनुपालन में)
- (xiii) किसी भी बोलीदाता के हितों में टकराव पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बोली लगाने वाले को निम्नलिखित कारणों से इस बोली प्रक्रिया के उद्देश्य के लिए हितों का टकराव माना जा सकता है, यदि बोली लगाने वाला:

क) जो अन्य बोलीदाताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है, किसी अन्य बोलीदाता द्वारा नियंत्रित या सामान्य नियंत्रण में है; या

ख) किसी अन्य बोलीदाता से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी प्राप्त किया है या प्राप्त करता है; या

ग) अन्य बोलीदाता के समान कानूनी प्रतिनिधि है; या





घ) किसी अन्य बोलीदाता के साथ सीधे या सामान्य तृतीय पक्षों के माध्यम से संबंध रखता है, जो इसे किसी अन्य बोलीदाता की बोली को प्रभावित करने की स्थिति में रखता है, या इस बोली प्रक्रिया के संबंध में नियोक्ता के निर्णयों को प्रभावित करता है; या

च) इसके किसी भी सहयोगी को अनुबंध कार्यान्वयन के लिए इंजीनियर के रूप में नियोक्ता या उधारकर्ता द्वारा काम पर रखा गया है (या किराए पर लेने का प्रस्ताव है);

छ) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के संबंधित पेशेवर कर्मचारियों के साथ घनिष्ठ व्यावसायिक या पारिवारिक संबंध है।

उपरोक्त बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

(xiv) बोली के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज।

14. कार्य का प्रस्तावित स्थल मुख्य अभियन्ता कार्यालय, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, जाह्नवी सदन, 21/496, इंदिरा नगर, लखनऊ होगा। निविदा प्रस्तुत करने से पहले, निविदाकर्ता को साइट पर कार्य को समझना चाहिए और 60 दिनों की दी गई समय अवधि में साइट पर काम निष्पादित करने में आवश्यक योजना का आकलन करना चाहिए। इसके अलावा, बोलीदाताओं को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करनी होंगी कि अनुमान में परिवहन / रसद आदि की लागत शामिल नहीं है, जो सीमित समय अवधि में इन कई स्थानों में निष्पादित किए जाने वाले कार्य की आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी सभी लागत पूरी तरह से ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

15. निविदा प्रस्तुत करने से पहले को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विभाग की आवश्यकता को ठीक ढंग से समझ गया है। कार्य के निष्पादन के वांछित स्वरूप एवं कार्य के क्षेत्र के सम्बन्ध में यदि बोलीदाता को किसी भी प्रकार की विसंगति या अस्पष्टता अनुभव होती है तो बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से इस सम्बन्ध में लिखित पत्राचार के माध्यम से क्रेता से लिखित स्पष्टीकरण, निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से कम से कम तीन दिन पहले तक प्राप्त किया जा सकता है। बोलीदाता द्वारा लिखित रूप में स्पष्टीकरण न माँगने पर यह माना जाएगा कि क्रेता की सभी आवश्यकताओं को बोलीदाता द्वारा समझ लिया गया है। निविदाओं के खुलने के बाद कार्य के किसी भी चरण में इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

16. भारत के राष्ट्रपति की ओर से सक्षम अधिकारी स्वयं को सबसे कम या किसी अन्य बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता है और बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार स्वयं में संरक्षित करता है। कोई भी ऐसी बिड जिनमें निर्धारित शर्तों में से कोई एक शर्त भी यदि पूरी नहीं हुई है (किसी भी शर्त में सशर्त छूट भी सम्मिलित है) तो बोलीदाताओं द्वारा तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। बोलीदाता द्वारा जमा की गयी निविदा अथवा उसके किसी भाग के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली उपार्थना (canvassing) पूर्णतया निषिद्ध है तथा निविदा का चयन होने के पश्चात बोलीदाता निविदा के



अन्तर्गत दी गई दर पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। भारत के राष्ट्रपति की ओर से सक्षम अधिकारी बिड के पूरे या किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार स्वयं में संरक्षित करता है और बोलीदाता दी गई दर पर ही कार्य करने के लिए बाध्य होंगे। कोई ठेकेदार, जिसका निकट सम्बन्धी इस मण्डल कार्यालय में मण्डलीय लेखाकार अथवा कनिष्ठ अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता तक (दोनों के ग्रेड के बीच किसी भी क्षमता में तैनात किया गया हो) कोई भी पद धारित करता है, इस मण्डल कार्यालय के कार्यों से सम्बन्धित अनुबंधों के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं कर सकता। बोलीदाता उन व्यक्तियों के नाम भी बताएगा जो किसी भी क्षमता में उसके साथ काम कर रहे हैं या बाद में उसके द्वारा नियोजित किए गए हैं और यह भी कि उनमें से कौन केन्द्रीय जल आयोग या जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में किसी भी राजपत्रित अधिकारी का निकट संबंधी है। ठेकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन होने पर उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा को तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।

17. कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा, जैसा कि अनुसूची 'एफ' में परिभाषित किया गया है, कार्य शुरू होने की तारीख या कार्य-स्थल सौंपने की पहली तारीख से (जो भी बाद में हो) 60 दिनों के अन्दर निविदा दस्तावेजों में इंगित चरणबद्धता के अनुसार हो (यदि कोई हो) निर्धारित की गयी है।

18. भारत सरकार के अभियांत्रिकी विभाग में अभियांत्रिक या प्रशासनिक पदों पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी या अन्य राजपत्रित स्तर के किसी भी अभियन्ता को लिखित रूप में बिना पूर्व अनुमति के, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के एक साल बाद तक ठेकेदार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। यदि ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी को अनुबंध अवधि में किसी भी समय ऐसे व्यक्ति के रूप में पाया जाता है, जिसने ठेकेदार के तौर पर कार्य प्रारम्भ करने अथवा निविदा प्रस्तुत करने से पहले भारत सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की है, तो इस दशा में यह अनुबंध रद्द किया जा सकता है। कार्य हेतु चयनित निविदा, सभी निविदाएं खुलने के बाद 30 दिनों तक स्वीकृति हेतु खुली रहेगी। यदि कोई बोलीदाता उक्त अवधि या स्वीकृति पत्र जारी करने से पहले (जो भी पहले हो) अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करता है, जो कि विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तब सरकार उक्त बयाना राशि के 50% भाग को किसी अन्य अधिकार या उपाय के लिए पूर्वग्रह के बिना जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसके अलावा ऐसे बोलीदाताओं को कार्य की पुनर्निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(आ) निविदा आमंत्रित करने वाली यह सूचना, अनुबंध-दस्तावेज का एक हिस्सा होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा का चयन किये जाने के पश्चात् सफल बोलीदाता/ ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि से 10 दिनों के भीतर अनुबंध-दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे। निविदा आमंत्रण सूचना, नियम व शर्तों से सम्बन्धित सभी दस्तावेज, जो कि निविदा आमंत्रण के समय निविदा-प्रपत्र का एक भाग था, निविदा जमा करते समय प्रस्तुत की गई दरों से सम्बन्धित दस्तावेज, उसकी स्वीकृति हेतु जारी किया गया पत्र एवं सभी सम्बन्धित पत्राचार इस अनुबंध-दस्तावेज में सम्मिलित किये जाएंगे।



भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मध्य गंगा मण्डल-1



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources RD & GR
Central Water Commission
Office of the Executive Engineer
Middle Ganga Division-1

(ब) मानक सी.पी.डब्ल्यू.डी. फॉर्म 8 या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्य मानक प्रपत्र लागू होंगे।

(अधिशासी अभियन्ता)

मध्य गंगा मंडल-1,

केन्द्रीय जल आयोग

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

संख्या: एनआईटी-04/मु.-02/मगम-1/लख./2023/ 1913-18

दिनांक: 28.10.2023

सूचना/वेबसाइट पर अपलोड/सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रति:

1. निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता(सं), ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
3. सहायक लेखाधिकारी, मध्य गंगा मण्डल-प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
4. सूचनापट्ट, मध्य गंगा मण्डल-प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
5. सीपीपी पोर्टल।
6. सीडब्ल्यूसी पोर्टल।



No: NIT-04/HQ-02/MGD-1/LKO/2023/ 1913-18

Dated: 28/10/2023

NOTICE INVITING TENDER

Executive Engineer, MGD-I, CWC, Lucknow invites Item rate e-tenders on behalf of the President of India from contractors who are registered under appropriate authorities of government (Central/State) for the work as per following:

A	Name of Work	"Repairing and Painting of Jahnvi Sadan Building under O/o Chief Engineer, UGBO, CWC, Lucknow"
B	Estimated cost	Rs.10,54,266/-(Rupees Ten Lac Fifty Four Thousand Two Hundred Sixty Six only)
C	Earnest Money Deposit	Rs.21,085/-(Rupees Twenty One Thousand Eighty Five only)
D	Performance Guarantee	3% of tendered value of the work
E	Security Deposit	5% of tendered value of the work
F	Cost of Tender	Nil
G	Last date/time of submission of tender	15/11/2023 up to 16:00 HRS
H	Date/time of Opening of tender	16/11/2023 at 16:00 HRS

- Agreement shall be drawn with the successful tenderer on prescribed Form No. CPWD 8 (or other Standard Form as mentioned) which is available as a Govt. of India Publication. Bidders shall quote his rates as per various terms and conditions of the said form which will form part of the agreement.
- Place of work will be office of Chief Engineer, Upper Ganga Basin Organisation, CWC, 21/496, Janhavi Sadan, Indira Nagar, Lucknow-226016.
- Tender Document is available on Central Public Procurement (CPP) Portal URL www.eprocure.gov.in and CWC website URL www.cwc.gov.in. The bids shall be submitted online only at Central Public Procurement (CPP) Portal URL www.eprocure.gov.in up to 18:00 HRS of 15/11/2023.
- The tender documents can be downloaded online from www.cwc.gov.in or can be issued from the office of "Executive Engineer, Middle Ganga Division-1, Central Water Commission, Jaltarang Bhawan, Aliganj, Lucknow" between 11:00 Hrs to 16:00 Hrs every day except Sundays, Second Saturday of the month & Public Holidays.





- The tender document will be available for downloading online from 28/10/2023 (16:00 Hrs) to 15/11/2023 (16:00 Hrs).
- E-Tender is available on Central Public Procurement (CPP) Portal URL www.eprocure.gov.in and CWC website URL www.cwc.gov.in.
- Bidder who has downloaded the tender shall not tamper/modify the tender form including downloaded price bid template in any manner. In case if the same is found to be tempered/ modified in any manner, tender will be completely rejected and EMD would be forfeited.
- Government of India has made it mandatory to make all procurement with estimated value of Rs. 2 lakh or more through e-procurement mode. For conducting e-procurement, Central Water Commission has decided to use the CPP portal of NIC. **Bids may be submitted online at Central Public Procurement (CPP) Portal URL www.eprocure.gov.in only.**
- For online submission of bids on CPP portal, bidders need to register with CPP. Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions to the Contractors/Tenderer for the e-submission of the bids online through CPP portal. For any help, CPP Helpdesk may be contacted:

CPP portal Helpdesk	
For any technical related queries please call at 24 x 7 Help Desk Number	0120-4200 462 0120-4001 002 0120-4001 005 0120-6277 787 International Bidders are requested to prefix +91 as country code Additional Help Desk Number 0120-4001005
E-mail ID	Technical - support-eproc(at)nic(dot)in Policy Related - cppp-doe(at)nic(dot)in
Buyer Organization Name Contact	
Central Water Commission	The Executive Engineer, Middle Ganga Division-I, Central Water Commission, Jaltarang Bhawan, Aliganj, Lucknow -226024
Contact Person	Junior Engineer, Middle Ganga Division-I, Central Water Commission, Lucknow
Telephone/Mobile	0522-2325028, 9410192675 [between 09:30 hrs to 17:00 hrs on working days]





E-mail Id | eemgd1-cwc@gov.in

11. Intending bidders are advised to check/revisit CPP Portal/ CWC website for any corrigendum/ amendment.
12. The bidder has to submit the Earnest Money (in hard copy in a sealed envelope) in the form of Insurance Surety bonds, Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque or Bank Guarantee from any Commercial Banks or payment online in an acceptable form drawn in favour of Executive Engineer, Middle Ganga Division-1, CWC, Lucknow. The envelope shall be submitted with the name of the work super scribing the envelope in the O/o Executive Engineer, Middle Ganga Division-1, Central Water Commission, Lucknow up to 16:00 Hrs on 15/11/2023. The bid submitted shall be opened at 16:00 hrs on 16/11/2023. (The Earnest money will be refunded to the unsuccessful contractor 30 days after the result of technical evaluation)
13. The contractor whose bid is accepted will be required to furnish performance guarantee of 3% (Three percent) of the bid amount within the period specified in Schedule F. Insurance Surety bonds, Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque or Bank Guarantee from any Commercial Banks or payment online in an acceptable form drawn in favour of Executive Engineer, Middle Ganga Division-1, CWC, Lucknow. In case the contractor fails to deposit the said performance guarantee within the period as indicated in Schedule 'F', including the extended period if any, the Earnest Money deposited by the contractor shall be forfeited automatically without any notice to the contractor. The earnest money deposited along with bid shall be returned after receiving the aforesaid performance guarantee.
- 14. Eligibility of Bidder (Scanned and signed copy of documents related to following eligibility criterias to be uploaded) :**
 - (i) The Contractor should be registered in India with Central Govt. /State Govt. / Govt. Undertaking etc. or supplied similar items to CWC earlier. Joint ventures are not accepted.
 - (ii) The Contractor must have valid PAN and GST registration at the time of submission of bid.
 - (iii) The Contractor must have successfully completed similar nature of work in Central or State Government bodies/departments, Public Sector Undertakings, MES, Railways in the last 7 years ending Sep, 2023, each of minimum value as detailed below:
 - a) Three similar completed work costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost.

or





b) Two similar completed work costing not less than the amount equal to 60% of the estimated cost.

or

c) One similar completed work costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost.

The value of executed works shall be brought to current costing level by enhancing the actual value of work at simple rate of 7% per annum; calculated from the date of completion to previous day of last day of submission of bids. Similar nature of work means civil construction related works. Completion certificates for the above should clearly indicate the scope and nature of supply / work. The completion certificate should be signed by the issuing authority with stamp without which the works will not be considered.

(iv) Average annual financial turnover of Rs. 5.27 lakh in the previous 3 financial years ie. FY 2019-20, 2020-21 & 2021-22. (Scanned copy of Certificate from CA with Unique Document Identification Number (UDIN) to be uploaded. Not needed if profit and loss statements, certified from CA have been submitted as turnover figures are mentioned in them). The value of annual turnover figures shall be brought to current value by enhancing the actual turnover figure at simple rate of 7% per annum.

(v) Signed and scanned copy of ITR and Balance sheet of last three financial years FY 2019-20, 2020-21 & 2021-22.

(vi) Scanned copy of Banker's certificate from a commercial bank of the amount equal to 40% of the estimated cost put to tender or Net worth certificate of minimum 10% of estimated cost put to tender issued by certified Chartered Accountant with UDIN. (Form B / B-1)

(vii) The bidder should have bidding capacity equal to or more than the estimated cost of the work put to tender (Form C-3). The bidding capacity shall be worked out by the following formula:

$$\text{Bidding Capacity} = \{[A \times N \times 1.5] - B\}$$

Where,

A = Maximum turnover in Construction related works executed in any one year during the last seven years taking into account the completed as well as works in progress. The value of completed works shall be brought to current costing level by enhancing at a simple rate of 7% per annum.

N = Number of years prescribed for completion of work for which bids have been invited.

B = Value of existing commitments and ongoing works to be completed during the period of completion of work for which bids have been invited.



- (viii) The written power of attorney by the bidder in favor of the authorized signatory signing the bid. (Not applicable if proprietor is the signing authority in case of proprietorship firms)
- (ix) The Agency should not have been blacklisted/ debarred/ banned by any government department or PSUs during last five years. (Undertaking/ affidavit may be submitted)
- (x) Signed and scanned copy of Tender Acceptance Letter.
- (xi) The Bidder should not have any Litigation pending in any court of law. An undertaking on company's letterhead should be submitted for the same.
- (xii) Duly filled Form IV in the format enclosed as annexure (in compliance to clauses – Purchase preference to Make In India and Eligibility of bidders from specified countries)
- (xiii) Any Bidder found to have a conflict of interest shall be disqualified. A Bidder may be considered to have a conflict of interest for the purpose of this bidding process, if the Bidder:
 - a) directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with another Bidder; or
 - b) receives or has received any direct or indirect subsidy from another Bidder; or
 - c) has the same legal representative as another Bidder; or
 - d) has a relationship with another Bidder, directly or through common third parties, that puts it in a position to influence the bid of another Bidder, or influence the decisions of the Employer regarding this bidding process; or
 - e) any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Employer or Borrower as Engineer for the Contract implementation;
 - f) has a close business or family relationship with the concerned professional staff of the project implementing agency.

Undertakings stating the above may be submitted.

- (xiv) Any other document in support of the Bid.

15. The proposed site of works will be office of Chief Engineer, Upper Ganga Basin Organisation, CWC, 21/496, Janhavi Sadan, Indira Nagar, Lucknow-226016

Also, bidders must submit the financial bids taking account of the fact that the estimate does not include the cost of transportation/logistics, etc which arises due to the requirement of the work to be executed in location in a limited time period. All such cost shall be borne solely by the contractor.

16. Before submitting the tender, the tenderer must ensure that it has understood the exact requirement of the department. In the case of any discrepancy or ambiguity felt by the tenderer in the scope of work and the desired deliverable functionality





from the work, it is mandatory to raise the clarification in writing by the tenderer and in turn get that clarified from the purchaser in writing at least three days before the last date of tender submission. In the case of no such clarification required by the tenderer, it will be construed that all the requirements of the purchaser are understood by the tenderer. No communications will be entertained in this regard at any stage of work after the opening of the Tenders.

17. The competent authority on behalf of the President of India does not bind itself to accept the lowest or any other bid and reserves to itself the authority to reject any or all the bids received without the assignment of any reason. All bids in which any of the prescribed condition is not fulfilled or any condition including that of conditional rebate is put forth by the bidders shall be summarily rejected. Canvassing whether directly or indirectly, in connection with bidders is strictly prohibited and the whole or any part of the bid and the bidders shall be bound to perform the same at the rate quoted. The competent authority on behalf of President of India reserves to himself the right of accepting the whole or any part of the bid and the bidders shall be bound to perform the same at the rate quoted. The contractor shall not be permitted to bid for works in this Division office responsible for award and execution of contracts, in which his near relative is posted a Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of Superintending Engineer and Junior Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Central Water Commission or in the Ministry of Water Resources, Ganga Rejuvenation & River Development, Govt. of India. Any breach of this condition by the contractor would render his/her bid to be summarily rejected.
18. The time allowed for carrying out the work will be 60 Days from the date of start as defined in schedule 'F' or from the first date of handing over of the site, whichever is later, in accordance with the phasing, if any, indicated in the tender documents.
19. No Engineer of Gazetted Rank or other Gazetted Officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of India is allowed to work as a contractor for a period of one year after his retirement from Government service, without the prior permission of the Government of India in writing. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found any time to be such a person who had not obtained the permission of the Government of India as aforesaid before submission of the bid or engagement in the contractor's Service. **The bid for the works shall remain open for acceptance for a period of thirty days (30) days from the date of opening of bids.** If any bidders withdraws his bid before the said period or issue of letter of acceptance, whichever is earlier, or makes any modifications in the terms and conditions of the bid which are not acceptable to the department, then the Government shall, without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit 50% of the said earnest money as





aforesaid. Further the bidders shall not be allowed to participate in the re-bidding process of the work.

- (a) This notice inviting Bid shall form a part of the contract document. The successful bidders/ contractor, on acceptance of his bid by the Accepting Authority shall within 10 days from the stipulated date of start of the work, sign the contract consisting of :-The Notice Inviting Bid, all the documents including terms & conditions, forming part of the bid as issued at the time of invitation of bid and the rates quoted at the time of submission of bid and acceptance thereof together with any correspondence leading thereto.
- (b) Standard C.P.W.D. Form 8 or other Standard C.P.W.D. Form as applicable.

(Executive Engineer)

Middle Ganga Division-I,

Central water Commission

For & on behalf of President of India

No: NIT-04/HQ-02/MGD-1/LKO/2023/ 1913-18

Dated: 28.10.2023

Copy for information/uploading on website/display on notice board:

1. Director, M&A, CWC, Lucknow
2. Superintending Engineer (C), UGBO, CWC, Lucknow.
3. Asst. Accounts officer, MGD-1, CWC, Lucknow
4. Notice Board, MGD-1, CWC, Lucknow
5. CPP Portal
6. CWC Portal

